

9. वाद-विवाद विधि

DISCUSSION METHOD

आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है वरन् उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाये रखने पर बल दिया जाता है। बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके प्राप्त करता है वह स्थायी रहता है। बालक को सक्रिय बनाये रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न क्रियात्मक शिक्षण-विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक वाद-विवाद विधि है। यह शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र मिल-जुलकर किसी प्रकरण प्रश्न या समस्या के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इसके अर्थ हैं और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषाएँ दे रहे हैं—

1. जेम्स एम० ली—“वाद-विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।”

“Discussion is an educational group activity in which teacher and the students talk over some problem or topic.”
—James M. Lee

2. रिस्क—“वाद-विवाद का अर्थ है—अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण से निहित सम्बन्धों का विचारशील विवेचन।”

“Discussion means thoughtful consideration of the relationships involved in the topic under study.”
—Thomas M. Risk

3. सिम्पसन व योकम—“वाद-विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान-प्रदान होता है। सामान्यतः वाद-विवाद में महत्त्वपूर्ण विचारों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है।”

“Discussion is a special form of conversation. It is an exchange of ideas of a more reasoned detailed kind, than that found in ordinary conversation and generally involves the conversation of important ideas and issues.”
—Yoakam and Simpson

अनौपचारिक वाद-विवाद के संचालन के लिए किन्हीं निर्धारित नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है। इस प्रकार के वाद-विवाद में छात्र किसी विषय या प्रश्न या समस्या पर शिक्षक के निर्देशन में स्वतन्त्रतापूर्वक विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

वाद-विवाद विधि का स्वरूप—वाद-विवाद विधि के संचालन के लिए नेता, भाग लेने वालों, समस्या या प्रश्न तथा सामग्री की आवश्यकता है। वाद-विवाद के लिए छात्रगण स्वयं या शिक्षक समस्या प्रस्तुत कर सकता है। समस्या के प्रस्तुत होने के उपरान्त शिक्षक उद्देश्य पर प्रकाश डालेगा तथा उससे सम्बन्धित सामग्री के स्रोतों से सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन करेंगे। वे इस प्रकार समस्या के किसी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेंगे। छात्रों के विभिन्न समूह-सदस्य सम्बन्धित सामग्री, आँकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्रित एवं आत्मसात करके निश्चित तिथि पर वाद-विवाद का कार्य प्रारम्भ करेंगे। निर्वाचित नेता या शिक्षक द्वारा वाद-विवाद का संचालन किया जायेगा। उसके निर्देशों के अनुसार वाद-विवाद का कार्य चलेगा। शिक्षक का कार्य छात्रों के सन्देहों को दूर करना होगा। वह एक साधरण सदस्य के रूप में कार्य करेगा। छात्रों के विचार-विमर्श के पश्चात् निर्वाचित नेता विषय से सम्बन्धित अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेगा। इसके उपरान्त वाद-विवाद कार्य की समाप्ति हो जायेगी। इस सम्पूर्ण कार्यवाही को छात्र मन्त्री द्वारा नोट किया जायेगा।

वाद-विवाद विधि के गुण एवं दोष (Merits and Demerits of Discussion Method) :

गुण :

1. इसके द्वारा छात्रों में सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना का विकास किया जाता है।
2. यह छात्रों को सहयोगी रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है।
3. इसके द्वारा छात्रों में किसी वस्तु के सम्बन्ध में चिन्तन करने की शक्ति का विकास किया जाता है।
4. इसके प्रयोग से छात्र अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं।
5. यह छात्रों में स्वतन्त्र अध्ययन करने की आदत का विकास करती है।
6. इसके द्वारा छात्र सामूहिक रूप से निर्णय करना सीख जाते हैं।
7. यह छात्रों को विषय-सामग्री का चयन एवं संगठन करना सिखाती है।

दोष :

1. इस पद्धति के विपक्ष में यह कहा जाता है कि इसके द्वारा छात्र निरर्थक वाद-विवाद में पड़कर समय नष्ट करते हैं।
2. वाद-विवाद में कक्षा के कुछ ही छात्र प्रमुख रूप से क्रियाशील रहकर अन्य छात्रों को अवसर प्राप्त नहीं करने देते हैं।
3. इससे शर्मीले तथा मन्द बुद्धि बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं।
4. इसका समुचित संचालन उच्च कक्षाओं में सम्भव हो सकता है।